

30/05/24

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक बकील अन्त
न्यायालय समय में प्राथमिक बकील को रुक
रुक कर तीन बार आवाज लगाई लेकिन
कोई उप० नहीं आया। अतः प्राथमिक का
अविद्वान आदम पैरवी आदम हाजरी में खरीज
किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

